(ii) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु बोर्ड, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है तो, इस उपधारा में निर्दिष्ट ऐसे अन्य प्राधिकारी या अभिकरण के पास ऐसी विवरणी फाइल करने के प्रयोजनों के लिए कोई स्कीम बना सकेगा ।";

(ख) उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2005 से,—

(i) "(प्रत्येक कंपनी की दशा में, प्रधान अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति)" कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर, "(सरकार के प्रत्येक कार्यालय की दशा में, विहित व्यक्ति और प्रत्येक कंपनी की दशा में, प्रधान अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति)" कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परतुंक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी सरकार के प्रत्येक कार्यालय की दशा में विहित व्यक्ति और हर कम्पनी की दशा में प्रधान अधिकारी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, विहित समय के भीतर, उक्त स्कीम के अधीन कम्प्यूटर माध्यम पर ऐसी विवरणियां परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा।"।

धारा 206ग का संशोधन ।

47. आय-कर अधिनियम की धारा 206ग में,—

(क) उपधारा (1ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा, 1 अक्तूबर 2004 से, अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

'(1ग) प्रत्येक व्यक्ति, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार कहा गया है) किसी पार्किंग स्थान या पथकर स्थान या खान या खदान में कारबार के प्रयोजन के लिए ऐसे पार्किंग स्थान या पथकर स्थान या खान या खदान के उपयोग के लिए पट्टा या अनुज्ञप्ति देता है या कोई संविदा करता है या अन्यथा किसी अधिकार या हित का, चाहे पूर्णतः या भागतः, अन्तरण करता है, वह उसमें अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार द्वारा संदेय रकम को अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार के खाते में विकलित करते समय या ऐसी रकम उक्त अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार से नकद रूप में या कोई चैक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से प्राप्त करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की ऐसी किसी अनुज्ञप्ति, संविदा या पट्टे के अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार से, ऐसी रकम के उतने प्रतिशत के बराबर राशि, जो उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, आय-कर के रूप में संगृहीत करेगा:

सारणी

क्रम सं0	संविदा या अनुज्ञप्ति या पट्टे आदि की प्रकृति	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)
(i)	पार्किंग स्थान	दो प्रतिशत
(ii)	पथकर स्थान	दो प्रतिशत
(iii)	खान या खदान	दो प्रतिशत

(ख) उपधारा (2) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात्, "या उपधारा (1ग)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर, 1 अक्तूबर, 2004 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपधारा (3) में,—

(i) "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात्, "या उपधारा (1ग)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर, 1 अक्तूबर, 2004 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् कर का संग्रहण करने वाला व्यक्ति संगृहीत किए गए कर का, केन्द्रीय सरकार के खाते में संदाय करने के पश्चात्, विहित समय के भीतर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तिमाही विवरण तैयार करेगा और ऐसे विवरण को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से सत्यापित रूप में और ऐसी विशिष्टियों को उपवर्णित करते हुए तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा ।";

(घ) उपधारा (4) में, निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जहां कोई रकम 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् इस धारा के उपबंधों के अनुसार संगृहीत और उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार के खाते में संदत्त की गई है, वहां संगृहीत और उपधारा (5) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट विवरण में विनिर्दिष्ट कर की रकम उस व्यक्ति की ओर से कर का संदाय समझी जाएगी, जिससे रकम संगृहीत की गई है और इस अधिनियम के अधीन किए गए निर्धारण में इस प्रकार संगृहीत रकम के लिए उसे उस निर्धारण वर्ष के लिए, जिसके लिए ऐसी आय निर्धारणीय है, प्रमाणपत्र के प्रस्तुत किए बिना उसको मुजरा दिया जाएगा ।";

(ङ) उपधारा (5) में,—

(i) "क्रेता" शब्द के स्थान पर, "क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार" शब्द, 1 अक्तूबर 2004 से रखे जाएंगे ;

(ii) निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु ऐसे मामले में, जहां कर इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् संगृहीत किया गया है, प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकेगा :

परंतु यह और कि विहित आय-कर प्राधिकारी या उपधारा (3) में निर्दिष्ट ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, विहित समय के भीतर, संगृहीत किए गए कर की रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो

विहित की जाएं, विनिर्दिष्ट करते हुए विहित प्ररूप में एक विवरण तैयार करेगा और, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (1ग) में निर्दिष्ट क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार को परिदत्त कराएगा ।";

(च) उपधारा (5क) में, 1 अक्तूबर, 2004 से,—

(i) "प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 सितंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए अर्धवार्षिक विवरणियां तैयार करेगा" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् विहित समय के भीतर अर्धवाषिक विवरणियां तैयार करेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "विहित आय-कर प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसा अन्य प्राधिकारी या अभिकरण, जो विहित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु बोर्ड, यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है तो, इस उपधारा में निर्दिष्ट ऐसे अन्य प्राधिकारी या अभिकरण के पास ऐसी विवरणियां फाइल करने के प्रयोजनों के लिए कोई स्कीम बना सकेगा ।";

(छ) उपधारा (5ख) और उपघारा (5ग) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं, 1 अप्रैल, 2005 से रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(5ख) उपधारा (5क) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे मामले से भिन्न किसी मामले में, जहां विक्रेता कोई कंपनी, केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार है, कर संग्रहण करने वाला कोई व्यक्ति, अपने विकल्प पर, ऐसी स्कीम के अनुसार, जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, विहित आय-कर प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् विहित समय पर या उसके पूर्व किसी फ्लापी, डिस्कैट, मैग्नेटिक कार्ट्रिज टेप, सीडी रोम या किसी अन्य कंप्यूटर पठनीय माध्यम पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "कंप्यूटर माध्यम" कहा गया है) और ऐसी रीति में, जो उस स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी विवरणी परिदत्त करेगा या कराएगा :

परंतु जहां कर की कटौती करने वाला व्यक्ति, कोई कंपनी या केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार है, वहां ऐसा व्यक्ति इस धारा के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् विहित समय के भीतर उक्त स्कीम के अधीन कंप्यूटर माध्यम पर ऐसी विवरणी परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा ।

(5ग) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कंप्यूटर माध्यम पर फाइल की गई कोई विवरणी उपधारा (5क) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए विवरणी समझी जाएगी और उसके अधीन की गई किन्हीं कार्यवाहियों में मूल को पेश करने के अतिरिक्त सबूत के बिना, मूल की किसी अंतर्वस्तु के या उसमें कथित किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी ।

(5घ) जहां निर्धारण अधिकारी यह समझता है कि उपधारा (5ख) के अधीन परिदत्त की गई या परिदत्त कराई गई विवरणी त्रुटिपूर्ण है, वहां वह कर का संग्रहण करने वाले व्यक्ति को उस त्रुटि के बारे में सूचित कर सकेगा और ऐसी सूचना की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जो इस निमित्त किए गए किसी आवेदन पर निर्धारण अधिकारी अपने विवेकाधिकार से अनुज्ञात करे, त्रुटि की परिशुद्धि करने का उसे अवसर दे सकेगा और यदि, यथास्थिति, पन्द्रह दिन की उक्त अवधि या इस प्रकार अनुज्ञात की गई और अवधि के भीतर त्रुटि की परिशुद्धि नहीं की जाती है तो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी विवरणी को अविधिमान्य विवरणी माना जाएगा और इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसा व्यक्ति विवरणी देने में असफल रहा हो ।";

(ज) उपधारा (9) में, 1 अक्तूबर, 2004 से,—

(i) "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात्, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं, "या उपधारा (1ग)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) "क्रेता", शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वह आता है, "क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 206गक का संशोधन ।

48. आय-कर अधिनियम की धारा 206गक में, 1 अक्तूबर, 2004 से निम्नलिखित परतुंक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु इस धारा के उपबंध 1 अक्तूबर, 2004 को या उसके पश्चात् लागू होंगे । " ।

धारा 245दद का संशोधन ।

49. आय-कर अधिनियम की धारा 245दद में, "धारा 245द की उपधारा (1) के अधीन" शब्दों, अंकों, अक्षर और कोष्ठक के स्थान पर, "धारा 245थ की उपधारा (1) के अधीन" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे और 1 अक्तूबर, 1998 से रखे गए समझे जाएंगे।

धारा 246क का संशोधन ।

50. आय-कर अधिनियम की धारा 246क की उपधारा (1) के खंड (क) में "निर्धारिती के विरुद्ध कोई आदेश" शब्दों के स्थान पर, "धारा 115फत की उपधारा (3) के खंड (ii) के अधीन संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित कोई आदेश या निर्धारिती के विरुद्ध कोई आदेश" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक 1 अक्तूबर, 2004 से रखे जाएंगे ।

धारा 253 का संशोधन।

51. आय-कर अधिनियम की धारा 253 की उपधारा (1) में, खंड (ग) के पश्चात्, अंत में, निम्नलिखित खंड 1 अक्तूबर, 2004 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) धारा 115फयग की उपधारा (1) के अधीन किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश ।"।

नई धारा 271चक का अंतःस्थापन ।

52. आय-कर अधिनियम की धारा 271च के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2005 से निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

वार्षिक सूचना विवरणी देने में असफलता के लिए शास्ति ।

"271चक. यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 285खक की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वार्षिक सूचना विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है, उस उपधारा के अधीन विहित समय के भीतर ऐसी विवरणी देने में असफल रहता है, तो उक्त उपधारा के अधीन विहित आय-कर प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति, शास्ति के रूप में ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक सौ रुपए की राशि का संदाय करेगा ।

53. आय-कर अधिनियम की धारा 272क की उपधारा (2) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 272क का संशोधन।

"(ट) धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण की प्रति परिदत्त करने या परिदत्त कराने में,"।

54. आय-कर अधिनियम की धारा 272ख की उपधारा (2) में, "उपधारा (5क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर के पश्चात्, "या उपधारा (5ग)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित किए जाएंगे । धारा 272ख का संशोधन।

55. आय-कर अधिनियम की धारा 272खखख की उपधारा (1) में, "अनुपालन करने में असफल रहता है" शब्दों के स्थान पर, "1 अक्तूबर, 2004 के पूर्व अनुपालन करने में असफल रहता है" अंक और शब्द 1 अक्तूबर, 2004 से रखे जाएंगे । धारा 272खखख का संशोधन।

56. आय-कर अधिनियम की धारा 277 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अक्तूबर, 2004 से, अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 277क का अंतःस्थापन ।

"277क. यदि कोई व्यक्ति (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में प्रथम व्यक्ति कहा गया है) जानबूझकर और किसी अन्य व्यक्ति को (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में द्वितीय व्यक्ति कहा गया है) इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य और अधिरोपणीय किसी कर या ब्याज या शास्ति का अपवंचन करने में समर्थ बनाने के आशय से किसी लेखाबही या इस अधिनियम के अधीन प्रथम व्यक्ति या द्वितीय व्यक्ति के विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों में सुसंगत या उपयोगी अन्य दस्तावेज में ऐसी कोई प्रविष्टि या कथन करता है या कराता है, जो मिथ्या है और जिसके बारे में प्रथम व्यक्ति यह जानता है कि वह मिथ्या है या वह विश्वास नहीं करता है कि वह सत्य है, वहां प्रथम व्यक्ति ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा । लेखा बहियों या दस्तावेज आदि का मिथ्याकरण।

स्पष्टीकरण—इस धारा के अधीन किसी आरोप में किसी विशिष्ट उदाहरण या कर की राशि, शास्ति या ब्याज को, जिसका उस द्वितीय व्यक्ति द्वारा अपवंचन किया गया है या किया गया होता, विनिर्दिष्ट किए बिना, द्वितीय व्यक्ति को किसी कर, शास्ति या ब्याज का अपवंचन करने में समर्थ बनाने वाले सामान्य आशय को अभिकथित करना पर्याप्त होगा ।"।

57. आय-कर अधिनियम की धारा 278ख में उपधारा (2) के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित उपधारा 1 अक्तूबर, 2004 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 278ख का संशोधन ।

"(3) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो कंपनी है, किया गया है और ऐसे अपराध के लिए दंड कारावास और जुर्माना है, तो, उपधारा (1) या उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी कंपनी जुर्माने से दंडित की जाएगी और उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति या उपधारा (2) में निर्दिष्ट कंपनी का निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के लिए दायी होगा।"।

58. आय-कर अधिनियम की धारा 285खक के स्थान पर निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2005 से रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 285खक के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

'285खक. (1) कोई व्यक्ति, जो— वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत करने की बाध्यता।

(क) कोई निर्धारिती है ; या

(ख) सरकार के किसी कार्यालय की दशा में विहित व्यक्ति है ; या

(ग) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी या अन्य लोक निकाय या संगम है ; या

1908 का 16 (घ) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार है ; या

1988 का 59 (ङ) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अध्याय 4 के अधीन मोटर यानों को रजिस्टर करने के लिए सशक्त रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी है ; या

1898 का 6 (च) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 2 के खंड (ञ) में यथानिर्दिष्ट महाडाकपाल है ; या

1894 का 1 (छ) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 3 के खंड (ग) में निर्दिष्ट कलक्टर है ; या

1956 का 42 (ज) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में निर्दिष्ट मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज है ; या

1934 का 2 (झ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक का कोई अधिकारी है ; या

1996 का 22 (ञ) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट कोई निक्षेपागार है,

जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन 1 अप्रैल, 2004 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी विनिर्दिष्ट विभिन्न वित्तीय संव्यवहार को रजिस्टर करने या उसका अभिलेख रखने के लिए उत्तरदायी है या 1 अप्रैल, 2004 को या उसके पश्चात् किसी व्यक्ति के साथ कोई विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार करता है, वह ऐसे विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में, जो 1 अप्रैल, 2004 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान उसके द्वारा रजिस्टर किए गए हैं या अभिलिखित किए गए हैं या किए गए हैं और जिससे संबंधित जानकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुसंगत और अपेक्षित है, एक ऐसी वार्षिक सूचना विवरणी विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को, जो विहित किया जाए, प्रस्तुत करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट वार्षिक सूचना विवरणी, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, (जिसके अंतर्गत कोई फ्लापी, डिस्कैट, मैगनेटिक कार्ट्रिज, टेप, सीडी रोम या किसी कंप्यूटर पठनीय माध्यम भी है) उस पूर्व वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् विहित समय के भीतर, प्रस्तुत की जाएगी ।

(3) इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार" के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(क) माल या संपत्ति या किसी संपत्ति में अधिकार या हित के क्रय, विक्रय या विनिमय का कोई संव्यवहार ; या

(ख) ऐसी कोई सेवा, जो विहित की जाए, देने के लिए कोई संव्यवहार ; या

(ग) किसी संकर्म संविदा के अधीन कोई संव्यवहार ; या

(घ) किए गए किसी विनिधान या उपगत किसी व्यय के रूप में कोई संव्यवहार ; या

(ङ) कोई ऋण या निक्षेप लेने या प्राप्त करने के लिए कोई संव्यवहार,

जहां किसी पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान खंड (क) से खंड (ङ) में निर्दिष्ट ऐसे संव्यवहार या संव्यवहारों का, यथास्थिति, मूल्य या कुल मूल्य पचास हजार रुपए से या ऐसे अन्य उच्चतर मूल्यों से, जो विहित किया जाए, अधिक हो जाता है :

परंतु बोर्ड, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय संव्यवहार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ञ) में निर्दिष्ट विभिन्न व्यक्तियों के लिए, खंड (क) से खंड (ञ) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के भिन्न-भिन्न मूल्य विहित कर सकेगा ।

(4) जहां, विहित आय-कर प्राधिकारी यह समझता है कि उपधारा (1) के अधीन दी गई वार्षिक सूचना विवरणी त्रुटिपूर्ण है, वहां वह ऐसी विवरणी को देने वाले उस व्यक्ति को, जो ऐसी विवरणी प्रस्तुत करता है, त्रुटि की सूचना दे सकेगा और ऐसी सूचना की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जो इस निमित्त किए गए किसी आवेदन पर, विहित आय-कर प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार से अनुज्ञात करे, उसे त्रुटि की परिशुद्धि करने का अवसर दे सकेगा और यदि, यथास्थिति, एक मास की उक्त अवधि या इस प्रकार अनुज्ञात की गई और अवधि के भीतर त्रुटि की परिशुद्धि नहीं की जाती तो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी विवरणी को अविधिमान्य विवरणी माना जाएगा और इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसा व्यक्ति वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहा था ।

(5) जहां, किसी व्यक्ति ने, जिससे उपधारा (1) के अधीन वार्षिक सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है, उसे विहित समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया है वहां विहित आय-कर प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति पर एक सूचना की तामील कर सकेगा, जिसमें ऐसी सूचना की तामील की तारीख से साठ दिन से अनधिक की अवधि के भीतर उससे ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी और वह, सूचना में विनिर्दिष्ट विहित समय के भीतर वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत करेगा ।"।

तेरहवीं अनुसूची का संशोधन ।

59. आय-कर अधिनियम की तेरहवीं अनुसूची में, 1 अप्रैल, 2005 से,—

(क) "[धारा 80झग (2) देखिए]" कोष्ठक, शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "[धारा 80झख (4) और धारा 80झग (2) देखिए]" कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) भाग ख के पश्चात्, निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"भाग ग

जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए

क्रम सं0	वस्तु या चीज
1.	तंबाकू के सिगरेट/सिगार, विनिर्मित तंबाकू और उसके अनुकल्प
2.	आसवित/निक्वाथित एल्कोहाली पेय
3.	वातित ब्रांडयुक्त सुपेय और उनके सान्द्र ।"।